रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2146] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 2017/ श्रावण 11, 1939
No. 2146] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2017/SRAVANA 11, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2017

का.आ. 2444(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा, कतिपय तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन खंड के रूप में घोषित किया था और उक्त खंड में उद्योगों की स्थापना करने और उनके विस्तार, संक्रियाओं तथा प्रसंस्करणों पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे ;

और उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के खंड (viii) के अधीन राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के तटीय खंड प्रबंधन प्राधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह केन्द्रीय सरकार को पणधारियों से प्राप्त सुझावों और आक्षेपों को समाविष्ट करने के पश्चात् अपनी सिफारिशों के साथ प्रारूप तटीय खंड प्रबंध योजना प्रस्तुत करे ;

और उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के खंड (xii) के अधीन, तटीय विनियमन खंड अधिसूचना, 1991 के अधीन पहले से ही अनुमोदित तटीय खंड प्रबंध योजनाओं की विधिमान्यता को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 1212(अ), तारीख 22 मार्च, 2016 द्वारा 31 जनवरी, 2017 तक विस्तारित किया गया था ;

और तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं के तैयार किए जाने की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उसे तटीय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए, अपनी-अपनी प्रारूप तटीय खंड प्रबंध योजनाओं को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने हेतु कुछ और अधिक समय की आवश्यकता है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियमय, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के उपबंध को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह उक्त अधिसूचना का आगे और संशोधन करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त करना लोक हित में है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) और उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के खंड (xii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(xii) तटीय विनियमन खंड अधिसूचना, 1991 के अधीन तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पहले से ही अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाएं 31 जुलाई, 2018 तक या ऐसे समय तक जैसा उक्त अधिसूचना के अधीन बनाई गई नई तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं को इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दिया जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, विधिमान्य होंगी ।"

[फा. सं. जे.-17011/18/96-आईए-III]

अरूण कुमार मेहता, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन किए गए:-

1. का.आ. 2557(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
2. का.आ. 1244(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2014;
3. का.आ. 3085(अ), तारीख 28 नवंबर, 2014;
4. का.आ. 383(अ), तारीख 4 फरवरी, 2015;
5. का.आ. 556(अ), तारीख 17 फरवरी, 2015;
6. का.आ. 938(अ), तारीख 31 मार्च, 2015;
7. का.आ. 1599(अ), तारीख 16 जून, 2015 ;
8. का.आ. 3552(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2015 ;
9. का.आ. 1212(अ), तारीख 22 मार्च, 2016 ;
10. का.आ. 4162(अ), तारीख 23 दिसंबर, 2016;
11. का.आ. 622(अ), तारीख 23 फरवरी, 2017; और
12. का.आ. 1393(अ), तारीख 3 मई, 2017

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2017

S.O. 2444(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government had declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas, under clause (viii) of paragraph 5 of the said notification, the Coastal Zone Management Authority of a State Government or of a Union territory is required to submit the draft Coastal Zone Management Plan

IndiaCode

along with its recommendations to the Ministry of Environment and Forest, after incorporating the suggestions and objections received from the stakeholders;

And whereas, under clause (xii) of paragraph 5 of the said notification, the validity Coastal Zone Management Plans already approved under the Coastal Regulation Zone notification, 1991, was extended up to the 31st July, 2017 by the Central Government vide notification number S.O. 622(E), dated the 23rd February, 2017;

And whereas after the review of the status of preparation of the Coastal Zone Management Plans, the Central Government is satisfied that it may take some more time for the coastal States and Union territories to submit their respective draft Coastal Zone Management Plans for approval;

And whereas the Central Government, having regard to provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for further amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in paragraph 5, in clause (xii), for figures "2017", the figures "2018" shall be substituted.

[F. No. J-17011/18/96-IA-III]

ARUN KUMAR MEHTA, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 19(E) dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 2557(E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1244(E), dated the 30th April, 2014;
3. S.O. 3085(E), dated the 28th November, 2014;
4. S.O. 383(E), dated the 4th February, 2015;
5. S.O. 556(E), dated the 17th February, 2015;
6. S.O. 938(E), dated the 31st March, 2015;
7. S. O. 1599(E), dated the 16th June, 2015;
8. S. O. 3552(E) dated the 30th December, 2015;
9. S. O. 1212(E), dated the 22nd March, 2016;
10. S.O. 4162(E), dated 23rd December, 2016;
11. S.O. 622(E), dated 23rd February, 2017; and
12. S.O. 1393(E), dated 3rd May, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2017

का.आ. 2445(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा, कतिपय क्षेत्रों को द्वीप संरक्षण खंड के रूप में घोषित किया था और उक्त खंड में उद्योगों की स्थापना करने और उनके विस्तार, संक्रियाओं तथा प्रसंस्करणों पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे ;

और उक्त अधिसूचना के पैरा 3 की मद (घ) के अधीन शीर्ष 5 की मद (ii) के अधीन तटीय विनियमन खंड अधिसूचना, 1991 के अधीन पहले से ही अनुमोदित तटीय खंड प्रबंध योजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा

IndiaCode

अधिसूचना सं. का.आ. 1213(अ) तारीख 22 मार्च, 2016 द्वारा 31 जनवरी, 2017 तक लागू किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया था;

और एकीकृत तटीय विनियमन खंड तथा एकीकृत द्वीप प्रबंध योजना के तैयार करने की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि संघ राज्यक्षेत्रों को अपनी-अपनी प्रारूप एकीकृत तटीय विनियमन खंड और एकीकृत द्वीप प्रबंध योजनाओं को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने में कुछ और अधिक समय लगेगा;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियय, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के उपबंध को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह उक्त अधिसूचना का आगे और संशोधन करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त करना लोक हित में है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) और उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पैरा III के खंड (घ) में शीर्ष 5 के अधीन "अवधि जिसके लिए एकीकृत तटीय विनियमन खंड और एकीकृत द्वीप प्रबंध योजनाएं विधिमान्य होंगी" से संबंधित मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(ii) तटीय विनियमन खंड अधिसूचना, 1991 के अधीन तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पहले से ही अनुमोदित द्वीप के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाएं, जिनके लिए एकीकृत तटीय विनियमन खंड और एकीकृत द्वीप प्रबंध योजना तैयार नहीं की गई हैं, 31 जुलाई, 2018 तक लागू रहेंगी ।"

[फा. सं. जे.-17011/18/96-आईए-III]

अरूण कुमार मेहता, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नानुसारप संशोधित की गई थी :-

(1) अधिसूचना सं. का.आ. 2558(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;

(2) अधिसूचना सं. का.आ. 1213(अ), तारीख 22 मार्च, 2016;

(3) अधिसूचना सं. का.आ. 621(अ), तारीख 23 फरवरी, 2017.

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2017

S.O. 2445(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government had declared certain areas as Island Protection Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas, under sub-clause (ii) of heading 5 under item (D) of paragraph III of the said notification, the validity of the Coastal Zone Management Plans already approved under the Coastal Regulation Zone notification, 1991,

was extended till the 31st July, 2017 by the Central Government vide notification number S.O. 621(E), dated the 23rd February, 2017;

And whereas, after the review of the status of preparation of Integrated Coastal Regulation Zone and Integrated Islands Management Plan, the Central Government is satisfied that it may take some more time for the Union territories to submit their respective draft Integrated Coastal Regulation Zone and Integrated Islands Management Plan for approval;

And whereas, the Central Government, having regard to provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for further amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in paragraph III, in clause D, under the heading 5 relating to 'period for which ICRZ and IIMPs shall be valid', in item (ii), for the words, figures and letters "used till the 31st July, 2017" the words, figures and letters "valid till the 31st July, 2018" shall be substituted.

[F. No. J-17011/18/96-IA-III]

ANIL KUMAR MEHTA, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows:

1. S.O. 2558(E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1213(E), dated the 22nd March, 2016; and
3. S.O. 621(E), dated 23rd February, 2017.

IndiaCode

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.03 22:28:52 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.